

क्रमांक :– अज / आर.टी.आई.–2024 / श्री एस. के. पाण्डा, संयुक्त महाप्रबन्धक / प्रशा0 (जू.सू.अ.) डीएफसीसीआईएल, नई दिल्ली।

दिनांक : 30.04.2024

विषय :--सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (आर.टी.आई. क्रमांक-365) के बाबत। प्रसंग :--कॉर्पोरेट कार्यालय से प्राप्त ई--मेल दिनांक 09.04.2024) के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में प्रार्थी श्री अंकित कुमार विश्नोई निवासी 156 ए, गार्डन रेजीडेन्सी, जयपुर पिन कोड 302012, द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में वर्णितानुसार चाही गई सूचना संबंधित विभाग से प्राप्त कर अवगत कराया गया कि आवेदक द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 प्रार्थना पत्र में वर्णितानुसार क्रम संख्या 01 लगायत 04 प्रश्नो का उत्तर उपलब्ध नही कराया जा सकता एवं आवेदक वाहन का स्वामी/मालिक नही होना अवगत कराया गया है उक्त प्रकरण वाणिज्यिक/व्यवसायिक से जुडा है।

इसे महाप्रबन्धक / समन्वय, अजमेर का अनुमोदन / मंजूरी प्राप्त है।

(बृज र्राज) महाप्रबन्धक / विधुत / मा०संसा0 डीएफसीसीआईएल, अजमेर Sub: Regarding Information sought under RTI ACT 2005 -RTI-365

Reply on Information sought under RTI ACT2005 in RTI -365 for the Vehicle No. RJ14GQ0649 is as under 20.

Sr No	Item	Information Sought	Information Provided Details
	No		
1	1	Details about all the payment made to	Can not be provided
		Vehicle No. RJ14GQ0649	
2	2	Attach the soft copy (Pdf) of logbook and	Can not be provided
		Toll plaza receipts of said vehicles that	
		has been verified by your officials	
3	3	Soft copy of the Contract with the Vehicle	Can not be provided
		Owner as to see the period for which the	
		said vehicle is being used	
4	4	And details about the account No. and	Can not be provided
		the branch of the bank to which the	
		payment is being transferred	

The applicant is not the Vehicle owner. The matter pertains to commercial confridence.

Karti Kumes Thaker JPM/ Lat 1AC